(vii) **Union Home Minister's trophy for best Police training Institutions**:

The medal was instituted vide Ministry of Home Affairs, Government of India Notification No.23011/16/2014-PT/PMA dated 11th May, 2016 to be awarded the trophy to the best Police Training Institutions throughout the Indian Union in consideration of the outstanding performance in Police training. Union Home Minister is Competent for approval of recommendations to be finalized by the committee. For this purpose Bureau of Police Research and Develop (BPR&D is Nodal Agency.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, बुधवार, मई 11, 2016/वैशाख 21, 1938
No. 143] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 2016/ VISAKHA 21, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2016

फा.सं. 23011/16/2014-पु.प्रशि./पीएमए.— गृह मंत्री, पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के फलस्वरूप समूचे भारतीय संघ में सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं को निम्नलिखित ट्रॉफी प्रदान किया जाना प्रारम्भ करते हैं और उनको विनियमित करने के लिए निम्नलिखित संविधियां विहित एवं स्थापित करने का आदेश देते हैं जिसे कि वर्ष 2016 के जनवरी माह के 26वें दिन से प्रभावी समझी जाएगी।

सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु केन्द्रीय गृह मंत्री की ट्रॉफी

प्रथमत:- उपर्युक्त पुरस्कार एक चल ट्रॉफी (Running Trophy) के रूप में होगा और उसका नाम स्वरूप एवं **सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु केन्द्रीय गृह मंत्री की ट्रॉफी** होगा और (उसे इसके बाद ट्रॉफी कहा जाएगा)।

द्वितीयत:- उपर्युक्त ट्रॉफी केवल उन्हीं प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रदान की जाएगी जिन्होंने उस वर्ष में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन किया हो, जिस वर्ष के संबंध में ट्रॉफी प्रदान की जानी हो।

तृतीयत:- गृह मंत्रालय इन संविधियों के प्रयोजन से नियम बनाने में सक्षम होगा।

"सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु केन्द्रीय गृह मंत्री की ट्रॉफी" से संबंधित उपर्युक्त संविधियों के अनुसार, ट्रॉफी प्रदान किए जाने को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए जाते हैं :-

1. गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में "सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं को केन्द्रीय गृह मंत्री की ट्रॉफी" की योजना के अन्तर्गत ट्रॉफियाँ प्रदान किए जाने की एक योजना आरम्भ की है। देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु कुल छः ट्रॉफियाँ होंगी, अर्थात् तीन केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों की प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु और तीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु। उपर्युक्त ट्रॉफियां प्रत्येक वर्ष, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान रहे कार्य-निष्पादन के संबंध में प्रदान की जाएगी।

क. सर्वश्रेष्ठ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल/केन्द्रीय पुलिस संगठन की प्रशिक्षण संस्था को उपर्युक्त ट्रॉफी प्रदान किया जाना

2. प्रत्येक वर्ष, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों की विजेता सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं को तीन ट्रॉफियां प्रदान की जाएंगी। उपर्युक्त ट्रॉफी के संबंध में तीन श्रेणियाँ होंगी अर्थात् राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान, अराजपत्रित अधिकारियों के संबंध में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान और अन्य रैंको (कांस्टेबलों) के संबंध में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान।

3. हरेक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल/केन्द्रीय पुलिस संगठन, प्रत्येक वर्ष (वित्तीय वर्ष) में प्रत्येक श्रेणी के संबंध में एक संस्थान को नामित कर सकता है। एक से अधिक संस्थाएं होने के मामले में, किसी वर्ष के विजेता संस्थान को अगले दो वर्षों तक नामित नहीं किया जा सकता है।

4. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का प्रशिक्षण निदेशालय प्रत्येक वर्ष नामांकन आमंत्रित करेगा।

5. प्रत्येक श्रेणी में विजेता संस्थान को अनुदान सहायता के रूप में 20 लाख के नक़द पुरस्कार सहित प्रोत्साहन के प्रतीक के रूप में एक चल ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इस प्रकार, इन तीन श्रेणियों में कुल 60 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे।

6. सभी श्रेणियों की ट्रॉफी विजेता संस्था के प्रमुख (अकादमी के निदेशक, एनजीओ और कांस्टेबल प्रशिक्षण संस्थान के महानिरीक्षक) को योगदान के वर्ष विशेष में पूरी तरह से उनके कार्यकाल के आधार पर ही गृह मंत्री की डिस्क प्रदान की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि निदेशक/प्राचार्य का किसी प्रशिक्षण संस्थान में वर्ष 2014-15 में कार्यकाल रहा हो, तो जिस व्यक्ति का कार्यकाल उस वर्ष में (छुट्टियों को छोड़कर) अधिकतम रहा हो, उसे ही गृह मंत्री की डिस्क मिलेगी। इस मामले में कोई मनोनयन और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/प्रशिक्षण निदेशालय के प्रमुखों का विवेकाधिकार नहीं होगा। गृह मंत्री की डिस्क का डिजाइन हू-बहू वही होगी जो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक की डिस्क का है।

7. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा गठित एक दल द्वारा संस्थान के दावे का सत्यापन किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी के संबंध में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा अलग समिति का गठित किया जाएगा। उपर्युक्त समिति ट्रॉफी प्रदान किए जाने योग्य समझे गए प्रत्येक संस्थान का दौरा करेगा और उस संस्थान के दावे का सत्यापन करेगा। उपर्युक्त समिति पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक को इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

8. उपर्युक्त ट्रॉफी **गणतंत्र दिवस समारोह पर** प्रदान की जाएगी।

ख. <u>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशिक्षण संस्था को ट्रॉफी प्रदान करना</u>

1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेष्ठतम पुलिस प्रशिक्षण संस्था के विजेताओं को प्रत्येक वर्ष तीन ट्रॉफियां प्रदान की जाएंगी। ट्रॉफी के लिए तीन श्रेणियां, अर्थात् राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिग प्रशिक्षण संस्थान, अराजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठतम प्रशिक्षण संस्थान और दूसरे रैकों (कांस्टेबल्स) के प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान, होंगी ।

2. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का प्रशिक्षण निदेशालय प्रत्येक वर्ष इसके लिए नामांकन मांगेगा।

3. उन्तीस (29) राज्य होने के कारण राज्यों के महानिदेशकों के परामर्श से प्रत्येक वर्ष महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा छः आंचलिक समितियों का गठन किया जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नामों के साथ अंचलों के नाम अनुलग्नक-'क' पर दिए गए हैं। इन अंचल समितियों का गठन प्रत्येक वर्ष महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा किया जाएगा।

4. प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र के लिए प्रति श्रेणी प्रति वर्ष (वित्तीय वर्ष) एक संस्थान को नागित कर सकता है। वर्ष का विजेता संस्थान अगले दो वर्षों के लिए, एक से अधिक संस्थान होने के मामले में, नामित नहीं किया जा सकता।

5. क्षेत्रीय स्तर पर ट्रॉफी जीतने वाले संस्थान को यदि राष्ट्रीय स्तर पर विजेता घोषित नहीं किया जाता है तो वह प्रत्येक वर्ष इसमें हिस्सा ले सकता है।

6. क्षेत्रीय स्तर के विजेताओं को बुनियादी ढ़ांचे के विकास के लिए अनुदान राशि के रूप में 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार, क्षेत्रीय के स्तर पर 15 सर्वोत्तम प्रशिक्षण संस्थानों पर कुल 30 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे।

7. एक क्षेत्र की क्षेत्र समिति दूसरे क्षेत्रों के दावों का सत्यापन करने के लिए दूसरे क्षेत्र में पड़ने वाले संस्थान का दौरा करेंगी।

8. प्रत्येक अंचल समिति राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए प्रत्येक श्रेणी में क्षेत्र के विजेता के रूप में एक संस्थान का चयन करेगी। क्षेत्रीय समितियाँ अपनी सिफारिश महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को प्रस्तुत करेंगी।

9. क्षेत्रीय स्तर के योग्य संस्थान के दावे को महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा गठित एक समिति द्वारा सत्यापित किया जाएगा। उपर्युक्त ट्रॉफी प्रदान करने के लिए प्रत्येक योग्य संस्थान का उपर्युक्त समिति दौरा करेगी तथा उनके दावे को सत्यापित करेगी। उपर्युक्त समिति पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

10. प्रत्येक तीन श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर के विजेता को चल ट्रॉफी (Running Trophy) प्रदान की जाएगी। प्रोत्साहन के रूप में राष्ट्रीय स्तर के प्रत्येक तीन विजेता संस्थानों को अनुदान स्वरूप 20 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा, इस प्रकार, इन तीन श्रेणियों में कुल 60 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे।

11. राष्ट्रीय स्तर के ट्रॉफी विजेता संस्थान के प्रमुख को गृह मंत्री की डिस्क प्रदान की जाएगी। गृह मंत्री जी के डिस्क का डिजाइन हू-बहू वही होगा जो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक की डिस्क का है।

12. उपर्युक्त ट्रॉफी गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर प्रदान की जाएगी।

13. सभी श्रेणियों की ट्रॉफी विजेता संस्थान (अकादमी के निदेशक, एनजीओ और कांस्टेबल प्रशिक्षण संस्थान के महानिरीक्षक) को योगदान के वर्ष विशेष में पूरी तरह से उनके कार्यकाल के आधार पर ही गृह मंत्री की डिस्क प्रदान की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि निदेशक/प्राचार्य का किसी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में वर्ष 2014-15 में कार्यकाल रहा हो, तो जिस व्यक्ति का कार्यकाल उस वर्ष में (छुट्टियों को छोड़कर) अधिकतम रहा हो, उसे ही गृह मंत्री की डिस्क मिलेगी। इस मामले में कोई मनोनयन और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/प्रशिक्षण निदेशालय के प्रमुखों का विवेकाधिकार नहीं होगा।

कुमार आलोक, संयुक्त सचिव (पुलिस-I)

अनुलग्नक-क

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का क्षेत्रीय प्रभाग

उत्तरी क्षेत्र	
1	हरियाणा
2	हिमाचल प्रदेश
3	जम्मू और कश्मीर
4	पंजाब
5	राजस्थान
मध्य क्षेत्र	
1	छत्तीसगढ
2	उत्तर प्रदेश
3	मणिपुर/दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)
4	उत्तराखंड
पूर्वोत्तर क्षेत्र	
1	मेघालय
2	मिज़ोरम
3	नागालैंड
4	सिक्किम
5	असम
6	त्रिपुरा
7	अरुणाचल प्रदेश
पश्चिमी क्षेत्र	
1	गुजरात
2	महाराष्ट्र
3	मध्य प्रदेश
4	गोवा
दक्षिण क्षेत्र	
1	कर्नाटक
2	केरल
3	तमिलनाडु
4	आंध्र प्रदेश
5	तेलंगाना
पूर्वी क्षेत्र	
1	बिहार
2	ओडिशा
3	झारखंड
4	पश्चिम बंगाल

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों की सूची	
1	असम राइफल्स
2	सीमा सुरक्षा बल
3	के.ओ.सु.बल
4	के. रिज़र्व पुलिस बल
5	भारत तिब्बत सीमा पुलिस
6	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद् (NSG)
7	एस एस बी
8	पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो
9	आसूचना ब्यूरो
10	सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
11	राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो
12	एन ई पी ए
13	एन आई सी एफ एस
14	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
15	एन आई ए

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2016

F. No.23011/16/2014-PT/PMA.—The Home Minister is pleased to institute the following Trophy to be awarded to the best Police Training Institutions throughout the Indian Union in consideration of the outstanding performance in police Training and to make ordain and establish the following Statutes governing them, which shall be deemed to have effect from the twenty sixth day of January in the year two thousand and sixteen.

UNION HOME MINISTER'S TROPHY FOR BEST POLICE TRAINING INSTITUTIONS:

Firstly:- The award shall be in the form of a Running Trophy and styled and designated as the UNION HOME MINISTER'S TROPHY FOR BEST POLICE TRAINING INSTITUTIONS and (hereinafter referred to as the trophy).

Secondly:-The trophy shall only be awarded to those Police Training Institutes who have put in outstanding performance in the year of consideration.

Thirdly:- It shall be competent for the Home Ministry to make rules to carry out the purpose of these statutes.

In accordance with above Statutes relating to the **"UNION HOME MINISTER'S TROPHY FOR BEST POLICE TRAINING INSTITUTIONS",** the following Rules governing the award of the Trophy are notified:-

1. MINISTRY of Home Affairs, Government of India has instituted a scheme for award of Trophies under the scheme "Union Home Minister's Trophies to the Best Police Training Institution" in the country. There will be six Trophies in all for the best police Training institutions in the country, three for the CAPFs/CPOs Training Institutions and three for the State/UTs Police Training Institutions. The Trophies will be awarded every year for the performance during the previous financial year.

A. **AWARD OF TROPHY TO BE BEST CAPF/CPO TRAINING INSTITUTION**

2. Every year three trophies will be presented to the winner of Best Police Training Institutions of the CAPFs/CPOs. There will be three categories for the trophy viz. Best Training Institute for the training of Gazetted Officers, Best Training Institute for the training on Non-Gazetted Officers and Best Training Institute for the training of Other Ranks (Constables).

3. Each CAPF/CPO can nominate one institute for each category every year (Financial Year). The winner institute of the year cannot be nominated for the next two years, in case the institutions are plural in numbers.

4. The Training Directorate of BPR&D should invite the nomination every year.

5. A Running Trophy will be presented to the winning Institute in each three categories as a token of encouragement along with a cash prize @ Rs. 20 lakh as Grant in Aid. Therefore, total of Rs. 60 lakh will be spent in these three categories.

6. The Head of Trophy winning Institution of all categories (Director of Academy, DIsG of NGO and Constable Training Institute) will be awarded Home Minister's Disc, entirely based on tenure in particular year of contribution. For example, if Director/Principal had tenure in 2014-15 in any CAPF, that person who has maximum working tenure (excluding leave) in the year would be receiving the Home Minister's Disc. There shall be no nomination as well as discretion of the Heads of the CAPFs/Training Directorate in the matter. The design of Home Minister's Disc is exactly as that of DG's Disc of DG BPR&D.

7. The claim of the Institute will be verified by a team constituted by DG, BPR&D. Separate committee for each category will be constituted by the DG, BPR&D. The committee will visit each institute qualified for the award of trophy and verify the claim, the committee will submit the report to DG, BPR&D.

8. The Trophy will be awarded **on the Occasion of Republic Day Celebrations.**

B. AWARD OF TROPHY TO THE STATE/UTs TRAINING INSTITUTION

1. Every year three Trophies will be presented to the winner of Best Police Training Institution of the States/UTs. There will three categories for the Trophy viz. Best Training Institute for the training of Gazetted Officers, Best Training Institute for the training of Non-Gazetted Officers and Best Training Institute for training of Other Ranks (Constables).

2. The Training Directorate of BPR&D would invite the nominations every year.

3. Since there are twenty nine (29) States, Six Zonal Committees would be formed by DG, BPR&D every year in consultation with the DG's of the States. The name of the Zones along with the name of the States/UTs is given at Annexure-"A". These Zonal Committees will be formed every year by DG, BPR&D.

4. Each State can nominate one Institute for each category every year (Financial Year) for the Zone. The winner Institute of the year cannot be nominated for the next two years, in case the institutions are plural in numbers.

5. The Trophy winning Institute at Zonal level can participate every year if it is not declared winner at the National level.

6. The winner of the Zonal level will be awarded Rs. 2 lakh each for the infrastructure development as Grant-in-Aid. Therefore, total of Rs. 30 lakh will be spent on 15 best training institutions at zonal level.

7. The Zonal committee of one Zone will visit the Institute falling in another Zone for verifying the claim of the institutes.

8. Every Zonal Committee will select one Institute in each category as a winner of the zone for the participation at National level. The Zonal Committees will submit recommendation to the DG, BPR&D.

9. The claim of the qualified Institute of the Zonal level will be verified by a committee constituted by DG, BPR&D. The committee will visit each Institute qualified for the award of Trophy and verify the claim. The team will submit the report to DG, BPR&D.

10. A Running Trophy will be presented to the winner of National level in each three categories. As a token of encouragement, each three winning Institution at National level will also be given a cash prize of Rs.20 lakh as Grant-in-Aid. Therefore, total of Rs. 60 lakh will be spent in these three categories.

11. The Head of the Trophy winning institution at National level will be awarded Home Minister's Disc. The Design of the Home Minister's Disc is exactly as that of DG's Disc of DG, BPR&D.

12. The Trophy will be awarded on the occasion of Republic Day Celebrations.

13. The Head of Trophy winning Institution of all categories (Director of Academy, DIsG of NGO and Constable Training Institute) will be awarded Home Minister's Disc, which will be entirely based on tenure in the particular year of contribution. For example, if Director/Principal had tenure in 2014-15 in any Training institute, that person who has

maximum working tenure (excluding leave) in the year would be receiving the Home Minister's Disc. There shall be no nomination and discretion of the Heads of the CAPFs/Training Directorate in the matter.

Kumar Alok, Jt. Secy. (Police-I)

Annexure - A

Zonal Divisions of the States/UTs

	NORTH ZONE
1	Haryana
2	Himachal Pradesh
3	J&K
4	Punjab
5	Rajasthan
	CENTRAL ZONE
1	Chhattisgarh
2	Uttar Pradesh
3	Delhi/Manipur (UTs)
4	Uttrakhand
	NORTH EASTERN ZONE
1	Meghalaya
2	Mizoram
3	Nagaland
4	Sikkim
5	Assam
6	Tripura
7	Arunachal Pradesh
	WESTERN ZONE
1	Gujarat
2	Maharashtra
3	Madhya Pradesh
4	Goa
	SOUTHERN ZONE
1	Karnataka
2	Kerala
3	Tamil Nadu
4	Andhra Pradesh
5	Telangana
	EASTERN ZONE
1	Bihar
2	Odisha
3	Jharkhand
4	West Bengal

Annexure - A

	List of CAPF/CPOs
1	Assam rifles
2	BSF
3	CISF
4	CRPF
5	ITBP
6	NSG
7	SSB
8	BPR&D
9	IB
10	SVPNPA
11	NCRB

12	NEPA
13	NICFS
14	NHRC
15	NIA

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2016

फा.सं.23011/16/2014.—पीटी/पीएमए- गृह मंत्री, समूचे भारत संघ में पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठनों के कार्मिकों को पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उनके द्वारा दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किया जाना प्रारम्भ करते हैं और उन्हें विनियोजित करने के लिए निम्नलिखित संविधियां स्थापित करने का आदेश देते हैं, जो कि 2016 वर्ष के जनवरी माह के 26 वें दिन से प्रभावी समझे जाएंगे।

पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री पदक

प्रथमत:- यह पुरस्कार पदक की शक्ल में होगा और उस पर **पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री पदक** निर्दिष्ट होगा तथा (इसमें इसके बाद पदक के रूप में उल्लेखित होगा) **द्वितीयत:-** यह पदक गोलाकार स्वरूप में होगा, यह क्युप्रो-निकिल द्वारा बना होगा, इसका व्यास 38 मि.मी. का होगा, इसकी मोटाई 3 मि.मी. होगी। देखने पर इसके केन्द्र में देश का प्रतीक चिह्न उभरा होगा। देश के प्रतीक चिह्न के नीचे "सत्यमेवजयते" शब्द उभरा होगा।

पदक के पिछले भाग में शीर्ष पर वक्राकार में "आ नो भद्रा, कतवो यंतु विश्वत:" लिखा जाएगा। इस केन्द्र में "विद्याधनम् सर्वधनम् प्रधानम्" तत्पश्चात् "पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री पदक" तथा उसके नीचे " विद्वानम् सर्वत्र पूज्यते" (संस्कृत में) लिखा जाएगा। इसके केन्द्र में पुष्पमाला से लिपटे हुए तीन अंकित किए जाएंगे जिनमें शस्त्र, व्यायाम अनुदेशक (ड्रिल अनुदेशक हाथ में राष्ट्रीय ध्वज ले जाते हुए), पुस्तक और अग्निशिखा को दर्शाया जाएगा।

तृतीयत:- प्रत्येक पदक के समानान्तर एक 38 मि.मी. "बिना घूमने वाली पट्टी" लगाई जाएगी, जिस पर पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 'केन्द्रीय गृह मंत्री पदक' अभिलेख के साथ 7 मि.मी. की पट्टियाँ, लाल (धारक के सामान्यत: सीधी ओर), नेवी ब्ल्यू, खाकी, मेटालिक ग्रे और सफेद की श्रृंखला का 35 मि.मी. चौड़ा एक रिबन लगाया जाएगा।

चतुर्थत:- जिन कार्मिकों को यह पदक प्रदान किया जाना है उनके नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा उस व्यक्ति द्वारा, जिसे केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा निदेशित किया जाएगा, इन नामों को गृह मंत्रालय में रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

पंचमत:- पदक केवल उन्हीं को प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने मानदंडों के अनुसार पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित न्यूनतम वर्षों तक उत्कृष्ट कार्य किया होगा।

षष्ठमत:- किसी कार्मिक को प्रदान किए गए उपर्युक्त पदक को रद्द और निरस्त किए जाने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री सक्षम होंगे तथा उसके पश्चात् उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। तथापि, किसी भी ज़ब्त किए गए उस पदक को पुन: बहाल करने का अधिकार भी केन्द्रीय गृह मंत्री को होगा। प्रत्येक वह व्यक्ति, जिसे यह पदक प्रदान किया जाता है, पदक प्राप्त करने के पूर्व एक सहमति देगा जिसके अनुसार उसका नाम उपर्युक्त रजिस्टर से हटा दिए जाने की स्थिति में वह अपना पदक लौटा देगा। पदक के रद्द होने अथवा पुन: बहाल होने संबंधी प्रत्येक मामले की सूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

सप्तमत:- इन नियमों के प्रयोजनों को लागू करने के मकसद से नियम बनाने के लिए गृह मंत्रालय सक्षम होगा। **"पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री पदक"** से संबंधित उपर्युक्त नियमों के अनुरूप, पदक पुरस्कारों को संचालित करने वाले निम्नलिखित नियमों को अधिसूचित किया जाता है:-

1. पुलिस प्रशिक्षण संस्था में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत पुलिस बल, केन्द्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठनों के सदस्यों को प्रत्येक वर्ष अधिकतम 167 पदक प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक बल की स्वीकृत कार्मिक संख्या बल के आधार पर गणना किए गए राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार/केन्द्रीय पुलिस संगठनवार/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलवार पदकों के वितरण का विवरण **परिशिष्ट क** पर संलग्न है। इस समय पदकों की संख्या की गणना 01.01.2013 को स्वीकृत पदों के आधार पर की गई है। तथापि, प्रत्येक तीन वर्षों के पश्चात् अथवा पुलिस बल, केन्द्रीय पुलिस सुरक्षा संगठन में कभी भी कार्मिकों की संख्या में कोई बड़ा बदलाव आने पर पदकों की संख्या की समीक्षा की जाएगी।

2. पदकों की श्रेणियां:

पुलिस प्रशिक्षण में शामिल प्रत्येक कार्मिक के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से,

पदकों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है:

(क) आन्तरिक

(ख) बाहरी

(ग) अन्य

3. पदकों का कोटा:-

(क) प्रत्येक श्रेणी में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के लिए पदकों का कोटा निम्नानुसार होगा:

I. आन्तरिक- 40 %
II. बाहरी - 40 %
III. अन्य - 20 %

(ख) प्रत्येक श्रेणी में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए पदकों का कोटा निम्नानुसार होगा:

I. आन्तरिक- 30 %
II. बाहरी - 50 %
III. अन्य - 20 %

(घ) जहां कहीं केवल आन्तरिक प्रशिक्षण ही दिलाया जा रहा है वहां बाहरी पदकों के कोटे को आन्तरिक पदकों के कोटे में मिला दिया जाएगा।

(ड.) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक वर्ष में इसके लिए नामांकन उपर्युक्त मानदंडों/कोटा के अनुसार प्राप्त होते हैं।

4. अभ्यर्थियों के लिए पात्रता के मानदंड:

(क) नामांकित कर्मचारी ने पुलिस विभाग में कम-से-कम पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(ख) केवल उन्हीं अधिकारियों को नामांकित किया जा सकता है जिन्होंने विचार किए जाने वाले वर्ष की 1 अप्रैल को प्रशिक्षण संस्थान में लगातार कम-से-कम दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। तथापि, प्रशिक्षण संस्थान (उसी अथवा अन्य संस्थान/संस्थानों) में कुल सेवा अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस पदक को प्रदान करने के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष को विचारार्थ वर्ष के रूप में घोषित किया जाता है।

(ग) पदक के लिए उनके नाम पर विचार करते समय उनके लिए अनुशंसित कर्मचारी के खिलाफ न तो कोई न्यायिक कार्यवाही/विभागीय जाँच लम्बित होनी चाहिए और न ही उन्हें दंड की प्रक्रिया के अधीन होना चाहिए। अनुशंसित कर्मचारी को पिछले पाँच वर्षों में कोई बड़ा/छोटा दण्ड नहीं दिया गया हो।

(घ) उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई सतर्कता संबंधी कार्यवाही/विभागीय जाँच लम्बित अथवा की गई नहीं होनी चाहिए।

(ड.) नामांकित कर्मचारी की पिछले 5 वर्षों में से कम-से-कम 3 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ए सी आर) की ग्रेडिंग 'उत्कृष्ट/बहुत अच्छी' होनी चाहिए और शेष 2 वर्षों में 'अच्छी' होनी चाहिए। पिछले 5 वर्षों में उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं होनी चाहिए।

(च) नामांकित कर्मचारी को पिछले अवसर पर प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री पदक प्रदान नहीं किया गया होना चाहिए।

5. नामित कर्मचारियों के चयन के लिए समिति:

अभ्यर्थियों के चयन के लिए निम्नानुसार एक तीन-स्तरीय छानबीन प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

क. **संस्थानीय स्तर की समिति:** यह समिति नामांकनों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेगी और उनके नाम मुख्यालय स्तर की समिति को अग्रेषित करेगी।

ख. **मुख्यालय स्तर की समिति:** यह समिति गृह मंत्रालय/पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो स्तर की समिति को अभ्यर्थियों के नामों की संस्तुति करेगी।

ग. **गृह मंत्रालय/पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो स्तर की समिति:** यह समिति अंतिम रूप से अभ्यर्थियों का चयन करेगी। पदकों के लिए नामित किए गए कर्मचारियों में से अन्तिम रूप से चयन की प्रक्रिया में सहायता प्राप्त करने के प्रयोजन से, गृह मंत्रालय/पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो स्तर की समिति को इसके लिए उप-समितियों का गठन करने का अधिकार होगा।

6. पदकों के साथ प्रमाण-पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान करना:

प्रत्येक विजेता को पदक के साथ-साथ गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र (स्क्रोल) से सम्मानित किया जाएगा।

7. पदक वापस लेना:

यदि पदकधारक को अनिष्ठा का दोषी पाया जाता है अथवा बरखास्तगी, भारी दण्ड, आपराधिक कार्यों आदि जैसे अप्रतिष्ठित कार्यों से वह बल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाता है अथवा पदक प्राप्त करने वाले कर्मचारी के आचरण को राज्य अथवा केन्द्र सरकार की राय में अनुपयुक्त पाया जाता है तो केन्द्रीय गृह मंत्री उसका पदक वापस लेने के लिए सक्षम हैं।

कुमार आलोक, संयुक्त सचिव (पुलिस-I)

परिशिष्ट–'क'

पदकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वितरण

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत पद	कुल पदक
1	दमण और द्वीव दादर और नगर हवेली एवं लक्षद्वीव (क्रमावर्ती द्वारा)	**410/328/349**	**1**
2	पुडुचेरी	3,951	1
3	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,432	1
4	सिक्किम	6,076	1
5	गोवा	7,118	1
6	चण्डीगढ़	7,873	1
7	मिज़ोरम	11,246	1
8	अरुणाचल प्रदेश	12,763	1
9	मेघालय	13,141	1
10	हिमाचल प्रदेश	17,185	2
11	उत्तराखंड	20,193	2
12	नागालैंड	24,282	2
13	त्रिपुरा	27,339	2
14	मणिपुर	31,914	2
15	केरल	52,712	3
16	ओडिशा	56,840	3
17	तेलंगाना	56,213	3
18	हरियाणा	61,681	3
19	असम	62,340	3
20	छत्तीसगढ	66,630	4
21	झारखंड	73,664	4
22	सीमान्ध्र	73,012	4
23	जम्मू और कश्मीर	78,242	4
24	पंजाब	79,478	4
25	दिल्ली	81,158	4
26	बिहार	87,913	4
27	मध्य प्रदेश	90,445	5
28	कर्नाटक	91,169	5
29	राजस्थान	93,469	5
30	पश्चिम बंगाल	1,09,330	5
31	गुजरात	1,13,380	5
32	तमिलनाडु	1,15,080	6
33	महाराष्ट्र	2,09,441	9
34	उत्तर प्रदेश	3,68,230	12
	सम्पूर्ण भारत	**22,09,027**	**114**

पदकों का केन्द्रीय पुलिस संगठन/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल-वार वितरण

क्र.सं.	केन्द्रीय पुलिस संगठन/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल	स्वीकृत पद	पदकों की कुल संख्या
1	केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल	296752	12
2	सीमा सुरक्षा बल	243161	11
3	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	133628	6
4	सशस्त्र सीमा बल	83409	4
5	भारत तिब्बत सीमा पुलिस	77022	4
6	असम राइफल्स	66412	4
7	सीडीटीएस/सीएपीटी सहित पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो		2
8	आसूचना ब्यूरो		2
9	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो/ एन आई सी एफ एस (क्रमावर्ती द्वारा)		1
10	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद्		1
11	पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय		1
12	सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी		1
13	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो		1
14	राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण		1
15	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई बल		1
16	पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी		1
	कुल		53

पदकों की कुल संख्या–

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पदक	**- 114**
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों के पदक	**- 53**
	167

टिप्पणी:

i 10,000 से कम स्वीकृत पदों पर- 1 पदक

Ii स्वीकृत पदों में प्रत्येक 25,000 की बढ़ोतरी पर- एक अतिरिक्त पदक (+/-5000)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2016

F.No.23011/16/2014-PT/PMA.—The Home Minister is pleased to institute the following award to be conferred on Members of Police Force, Central Police/Security Organizations throughout the Indian Union in recognition of the outstanding service in Police Training Institutes and to make ordain and establish the following Statutes governing them, which shall be deemed to have effect from the twenty sixth day of January in the year two thousand and sixteen.

UNION HOME MINISTER'S MEDAL FOR EXCELLENCE IN POLICE TRAINING:

Firstly:- The award shall be in the form of a medal styled and designated as the **UNION HOME MINISTER'S MEDAL FOR EXCELLENCE IN POLICE TRAINING** and (hereinafter referred to as medal)

Secondly :- The medal shall be circular in shape, made of cupro-nickel, 38 mm in diameter, 3 mm in thickness. On the obverse it shall have embossed the State Emblem in centre. The word "lR;eo t ; rs" shall be embossed below the state emblem. The State emblem shall be encircled by the wreath.

On the reverse the curve legend on the top " vk uks Hknzk]drok ;Urq foÜor%" shall be written. Then in the centre "fo|k/kue lo/kue i/kkue" followed by "ifyl if"k{k.k esa mRd!"rk dk fy# dsn\$; %&e'\$ ind" and below it "fo(kue lo' i)*;rs" (in Sanskrit) shall be written. In the centre wrapped in wreath three figures shows the weapon, physical instructor (drill instructor is carrying National Flag in hand), book and flame shall be depicted.